

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2017—भाद्र 14, शक 1939

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16	अ. मीटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफिटिंग हेतु मांग पत्र जारी करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.  ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.  10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
				कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिपिंग करना।	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी।	5 कार्य दिवस।	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस।	अधीक्षण अभियंता।
1.17	विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर)।	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी।	5 कार्य दिवस।	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस।	अधीक्षण अभियंता।
1.18	बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित करनेक्षण को पुनः संयोजित करना।	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी।	2 कार्य दिवस।	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस।	अधीक्षण अभियंता।
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी।	10 कार्य दिवस।	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस।	अधीक्षण अभियंता।
			4 कार्य दिवस।	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस।	अधीक्षण अभियंता।

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नापतौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञाप्ति प्रदायगी।	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)।	45 कार्य दिवस।	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस।	प्रमुख सचिव, खाद्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.14	निर्माता अनुज्ञित का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञित प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.16	विक्रेता अनुज्ञित का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञित प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.18	सुधारक अनुज्ञित का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/ पैककर्ता/आया तकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	07 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.3	नवीन सहकारी संस्था का पंजीयन.	1. जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक. 2. संभाग स्तर पर संयुक्त पंजीयक. 3. प्रदेश स्तर पर अपर/पंजीयक.	45 कार्य दिवस.	1. संभागीय संयुक्त पंजीयक. 2. अपर पंजीयक मुख्यालय. 3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म. प्र.	20 कार्य दिवस.	1. अपर पंजीयक मुख्यालय. 2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म. प्र. 3.प्रमुख सचिव म. प्र. शासन सहकारिता.
35.4	फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत् किसान साख पत्र जारी करना.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक.	30 कार्य दिवस.	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता.	30 कार्य दिवस.	संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिंजन राव, सचिव.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोखेप्र-पी.एस.जी. 34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एकद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप-तौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप-तौल विभाग की सेवाएं

सेवा क्र. (1)	सेवाएं (2)	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
34.1 नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं।  (ख) नाप- तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए।	निरीक्षक नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं।  (ख) नाप- तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए।	निरीक्षक नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं।  (ख) नाप- तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए।	7 कार्य दिवस।	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल।	21 कार्य दिवस।	नियंत्रक नाप तौल।
34.2 पेट्रोल, डीजल पंप का मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल पंप का मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल पंप का मूल मुद्रांकन।	15 कार्य दिवस।	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल।	21 कार्य दिवस।	नियंत्रक नाप तौल।
34.3 फ्लो (प्रवाह) पीटर का/मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल फ्लो (प्रवाह) पीटर का/मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल फ्लो (प्रवाह) पीटर का/मूल मुद्रांकन।	15 कार्य दिवस।	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल।	21 कार्य दिवस।	नियंत्रक नाप तौल।
34.4 ऑटो रिक्शा/ टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल ऑटो रिक्शा/ टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन।	निरीक्षक नाप-तौल ऑटो रिक्शा/ टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन।	7 कार्य दिवस।	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल।	21 कार्य दिवस।	नियंत्रक नाप तौल।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.5	सी. एन. जी./ एल. पी. जी. डिस्ट्रेसर/पंप का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.6	स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.7	नाप-तौल उपकरणों का पुनर्स्थापन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं।	निरीक्षक नाप-तौल	7 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
	(ख) नाप- तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए,	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.8	पेट्रोल, डीजल पंप का पुनः स्थापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.9	फ्लो (प्रवाह) मीटर का पुनः स्थापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.10	ऑटो रिक्षा/ टेक्सी मीटर का पुनः स्थापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल.	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.
34.11	सी. एन. जी./ एल. पी. जी. डिस्ट्रेसर/पंप का पुनः स्थापन करना.	निरीक्षक नाप-तौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नियंत्रण नाप तौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.12 स्टोरेज टैंक्स का पुनः सत्यापन करना।	निरीक्षक नाम-हौल	15 कार्य दिवस.	उप/सहायक नाम हौल	नियंत्रण नाम हौल	21 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाम हौल।

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील पदनाम (6)
35.1 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक।	30 कार्य दिवस।	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता।	30 कार्य दिवस।	संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता।
35.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र नवीनीकरण।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक।	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक।	30 कार्य दिवस।	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता।	30 कार्य दिवस।	संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता।

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 36.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील पदनाम (6)
36.1 मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण	असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स <sup>1</sup> एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश	20 कार्य दिवस।	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स <sup>1</sup> एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश	30 कार्य दिवस।	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश।